



बिहार लोक सेवा आयोग
15, गेहस पथ (बेली रोड), पटना - 800001
आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं.-27/2023, शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 (उनहत्तर हजार सात सौ छः) पदों, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुल 916 (नौ सौ सोलह) पदों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुल 1401 (चौदह सौ एक) पदों एवं विज्ञापन सं.-26/2023, शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के समाहित किये गये कुल 50,263 रिक्त पदों के आलोक में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित संशोधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है:-

क्र.सं.	विज्ञापन में प्रकाशित	संशोधन
1.	विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान करने की अंतिम तिथि- 17.11.2023	विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, परन्तु निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि-17.11.2023 यथावत रहेगा।
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-25.11.2023 (अविस्तारणीय)	यथावत
वर्ग 1 से 5 के लिए		
3.	निबंधन, भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि	16.11.2023 से 25.11.2023 (अविस्तारणीय) तक

- वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन सं.-26/2023, शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत वर्ग-1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नये सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे।
- वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन सं.-27/2023 शिक्षा विभाग, बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और वे वर्ग-1 से 5 विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त User Name एवं Password से Login कर Dashboard पर वर्ग-1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित Link पर Click करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे।
- वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है और वे वर्ग-1 से 5 के साथ-साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वर्ग-1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए Registration, परीक्षा शुल्क का भुगतान एवं अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को करेंगे। Registration के उपरान्त उपलब्ध कराये गये User Name एवं Password से Login कर Dashboard पर वर्ग-1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित Link पर Click करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे।
- उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना/विवरणी एवं जानकारी आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है।
- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली-भाँति अध्ययन कर लेंगे।

दिनांक-04.11.2023 एवं 10.11.2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या-27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


14.11.2023
परीक्षा नियंत्रक(TRE-2),
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.-27/2023, शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 (उनहत्तर हजार सात सौ छः) पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुल 916 (नौ सौ सोलह) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत है:-

1. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत:-

(क) मध्य विद्यालय (वर्ग 6-8 तक) के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल-31,982 पद

क्र. सं.	विषय	कोटि								महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद							दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	अनारक्षित (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग (महिला)	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति (महिला)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार/बहुदिव्यांग (MD)	
1.	गणित एवं विज्ञान	2272	580	1018	678	907	54	341	5850	2315	561	1042	694	925	71	5608	127	118	112	102	230
2.	सामाजिक विज्ञान	1625	415	728	484	645	36	247	4180	1663	402	748	496	667	60	4036	97	85	76	69	166
3.	हिन्दी	669	177	299	197	268	10	102	1722	716	163	320	219	283	38	1739	49	37	30	22	70
4.	अंग्रेजी	898	236	403	268	356	17	136	2314	942	219	418	281	378	40	2278	49	49	43	31	51
5.	संस्कृत	441	121	195	130	176	02	68	1133	488	102	215	146	190	36	1177	41	27	14	10	49
6.	उर्दू	362	105	162	108	148	01	54	941	420	82	181	126	163	33	1004	37	23	11	06	41
	कुल	6267	1634	2805	1865	2500	120	948	16140	6544	1529	2924	1962	2606	278	15842	400	339	286	240	607

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- विद्यालय अध्यापक, स्नातक कोटि (अराजपत्रित)

वेतनमान:- मूल वेतन 28,000/- प्रतिमाह एवं अनुमान्य भत्ते।

स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य।

परीक्ष्यमान अवधि:- योगदान की तिथि से दो वर्षों की अवधि परीक्ष्यमान अवधि मानी जायेगी एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

(ख) माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 9-10 तक) के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल-18,877 पद

क्र. सं.	विषय	कोटि								महिलाओं के शैतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद							दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	अनारक्षित (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग (महिला)	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति (महिला)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार/बहुदिव्यांग (MD)	
1.	हिन्दी	1364	345	618	416	544	36	100	3423	478	103	228	137	206	13	1165	35	39	32	31	71
2.	अंग्रेजी	1376	349	625	419	556	37	103	3465	481	108	235	138	210	13	1185	35	34	34	35	69

क्र. सं.	विषय	कोटि								महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद							दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	अनारक्षित (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग (महिला)	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति (महिला)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार/ बहुदिव्यांग (MD)	
3.	विज्ञान	928	235	416	280	372	21	68	2320	321	71	158	91	139	06	786	23	26	21	21	44
4.	गणित	873	221	401	271	351	24	65	2206	305	67	153	90	135	09	759	26	22	19	20	42
5.	समाजिक विज्ञान	765	190	349	231	313	20	54	1922	265	61	127	77	114	08	652	19	19	18	17	36
6.	संस्कृत	739	185	332	223	298	18	58	1853	253	56	126	78	112	03	628	18	16	20	21	33
7.	उर्दू	487	120	218	147	194	14	39	1219	169	40	82	49	70	01	411	13	12	13	12	23
8.	अरबी	07	01	03	02	02	00	00	15	03	00	01	01	01	00	06	00	00	00	00	00
9.	फारसी	16	05	07	06	10	02	03	49	06	00	03	04	06	00	19	01	00	00	00	00
10.	बांग्ला	09	03	03	03	05	01	02	26	03	01	00	02	02	00	08	02	00	00	00	00
11.	ललित कला	123	25	55	31	46	02	02	284	48	02	18	11	15	00	94	09	00	00	00	02
12.	नृत्य	159	34	72	46	61	08	11	391	62	02	22	16	18	00	120	15	00	00	00	05
13.	शारीरिक शिक्षा	228	48	108	64	84	11	13	556	90	06	34	21	31	00	182	15	04	00	00	10
14.	मैथिली	32	07	15	08	14	02	02	80	12	02	05	02	04	00	25	02	00	00	00	02
15.	संगीत	428	103	192	130	171	19	25	1068	162	22	67	44	64	00	359	26	10	03	02	19
कुल		7534	1871	3414	2277	3021	215	545	18877	2658	541	1259	761	1127	53	6399	239	182	160	159	356

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- विद्यालय अध्यापक, अराजपत्रित

वेतनमान:- मूल वेतन 31,000/- प्रतिमाह एवं अन्य देय भत्ते।

स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य।

परीक्ष्यमान अवधि:- योगदान की तिथि से दो वर्षों की अवधि।

(ग) माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 9-10 तक) के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल-270 पद

क्र. सं.	विषय	कोटि								महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद							दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	अनारक्षित (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग (महिला)	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति (महिला)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार/ बहुदिव्यांग (MD)	
1.	प्रमस्तिस्कीय पक्षाघात (CP)	06	00	00	00	00	00	00	06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2.	पूर्ण दृष्टिबाधित (Blindness)	21	01	04	01	01	00	00	28	02	00	01	00	00	03	00	00	00	00	00	00
3.	श्रवण बाधित (Hearing Impairmen)	37	00	13	00	02	00	00	52	05	00	00	00	00	00	05	00	00	00	00	00
4.	अल्प दृष्टिबाधित (Low Vision)	53	01	22	03	08	00	00	87	12	00	01	00	00	00	13	00	00	00	00	00

क्र. सं.	विषय	कोटि								महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद							दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	अनारक्षित (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग (महिला)	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति (महिला)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार/ बहुदिव्यांग (MD)	
5.	वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता (Speech & Language)	40	00	13	00	01	00	00	54	08	00	00	00	00	00	08	00	00	00	00	00
6.	बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability)	12	00	04	00	00	00	00	16	01	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00
7.	स्वलीनता दिव्यांगता (Autism Spectrum Disorder)	03	00	00	00	00	00	00	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8.	विशेष अधिगम दिव्यांगता (Specific Learning Disability)	10	00	00	00	00	00	00	10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9.	बहु दिव्यांगता (Multiple Disability)	13	00	01	00	00	00	00	14	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
कुल		195	02	57	04	12	00	00	270	28	00	02	00	00	03	27	00	00	00	00	00

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- विद्यालय अध्यापक, अराजपत्रित

वेतनमान:- मूल वेतन 31,000/- प्रतिमाह एवं अन्य देय भत्ते।

स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य।

परीक्ष्यमान अवधि:- योगदान की तिथि से दो वर्षों की अवधि।

(घ) उच्च माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 11-12 तक) के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल-18,577 पद

क्र. सं.	विषय	कोटि								महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद							दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	अनारक्षित (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग (महिला)	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति (महिला)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार/ बहुदिव्यांग (MD)	
1.	जन्तु विज्ञान	156	38	76	49	65	05	11	400	54	13	26	17	21	01	132	05	03	05	04	04
2.	वनस्पति विज्ञान	218	58	102	69	92	06	16	561	75	18	38	25	32	02	190	08	03	06	05	09
3.	रसायन शास्त्र	744	184	332	226	301	18	52	1857	261	53	122	78	115	08	637	21	21	21	14	37
4.	गणित	661	163	297	193	266	17	54	1651	229	49	108	68	97	03	554	14	16	18	19	27

क्र. सं.	विषय	कोटि							महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद							दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	अनारक्षित (महिला)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)	पिछड़ा वर्ग (महिला)	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुसूचित जनजाति (महिला)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)		मनोविकार/ बहुदिव्यांग (MD)
5.	भौतिकी शास्त्र	766	190	344	233	309	19	58	1919	266	57	128	78	116	06	651	19	17	18	20	36
6.	अर्थशास्त्र	70	15	31	20	27	01	04	168	27	02	10	07	10	00	56	00	05	01	00	02
7.	भूगोल	208	50	86	59	84	01	13	501	70	14	31	19	32	00	166	01	12	05	02	06
8.	इतिहास	276	67	130	83	107	09	19	691	96	22	48	27	42	04	239	11	08	07	04	14
9.	गृह विज्ञान	207	52	94	60	78	02	12	505	73	15	36	22	29	00	175	02	10	06	03	04
10.	संगीत	232	58	105	71	94	05	17	582	79	18	42	25	36	00	200	07	06	08	06	09
11.	दर्शन शास्त्र	38	13	20	17	18	01	01	108	19	01	11	06	09	00	46	03	00	00	00	01
12.	राजनीति शास्त्र	233	62	108	72	98	06	15	594	84	18	43	25	37	01	208	07	06	03	05	10
13.	मनोविज्ञान	444	112	202	133	181	10	32	1114	160	36	81	42	68	00	387	10	08	13	12	20
14.	समाज शास्त्र	337	80	143	98	128	07	30	823	124	17	49	30	42	00	262	07	07	09	07	12
15.	एकाउंटेंसी	68	15	28	15	27	02	06	161	22	06	09	04	09	00	50	02	02	00	00	04
16.	बिजनेस स्टडीज	41	08	16	12	14	00	02	93	14	02	07	04	06	00	33	01	02	01	00	01
17.	इन्टरप्रेनि योरेशिप	137	38	61	45	61	10	11	363	47	14	21	16	23	00	121	03	05	03	00	08
18.	अरबी	15	06	08	05	06	01	02	43	08	01	03	02	03	00	17	01	00	00	00	00
19.	बंगला	12	01	05	03	04	00	00	25	04	00	02	02	02	00	10	01	00	00	00	00
20.	भोजपुरी	60	15	25	18	25	03	04	150	24	03	10	06	11	00	54	04	01	01	00	02
21.	कम्प्यूटर विज्ञान	67	19	32	18	28	03	05	172	23	08	10	06	09	02	58	03	01	01	00	00
22.	अंग्रेजी	1045	265	474	311	419	26	84	2624	366	79	175	102	155	09	886	28	27	24	26	46
23.	हिन्दी	691	171	308	209	280	18	47	1724	241	54	118	72	104	06	595	18	17	14	14	33
24.	मगही	40	10	18	12	16	02	03	101	15	02	07	05	07	01	37	04	01	00	00	02
25.	मैथिली	72	19	34	24	30	00	05	184	24	04	16	08	10	00	62	01	01	02	02	02
26.	पाली	27	07	12	07	10	02	03	68	11	01	04	03	04	00	23	02	01	00	00	01
27.	फारसी	16	03	08	05	06	02	02	42	08	00	02	03	03	00	16	03	00	00	00	00
28.	प्राकृत	33	08	15	11	12	03	04	86	13	02	04	04	05	00	28	03	01	00	00	02
29.	संस्कृत	224	59	103	66	85	05	18	560	79	17	38	20	32	00	186	05	07	07	02	09
30.	उर्दू	282	73	127	81	116	06	22	707	98	24	53	29	46	00	250	08	06	07	05	13
	कुल	7420	1859	3344	2225	2987	190	552	18577	2614	550	1252	755	1115	43	6329	202	194	180	150	314

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- विद्यालय अध्यापक, अराजपत्रित

वेतनमान:- मूल वेतन 32,000/- प्रतिमाह एवं अन्य देय भत्ते।

स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य।

परीक्ष्यमान अवधि:- योगदान की तिथि से दो वर्षों की अवधि।

नोट:-(i) मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ii) विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट-बढ़ सकती है।

(iii) अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है।

2. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत् होंगी :-

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरूप अनुमान्य होगा।

(iii) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो यथा-

(i) मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए CTET Paper-II अथवा BTET Paper-II

(ii) माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET Paper-I एवं

(iii) उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET Paper-II में उत्तीर्ण हों।

परन्तु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।

❖ शिक्षा विभाग के पत्रांक-582, दिनांक-17.06.2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि CTET अभ्यर्थियों के लिए BTET, 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जायेगा।

विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरूप अनुमान्य होगा, जो सम्प्रति निम्नवत् है:-

(A) विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि (कक्षा 6-8) :- मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि (6-8) के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे:-

(क) गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक।

(ख) सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक।

(ग) भाषा विद्यालय अध्यापक।

(i) नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत् होगी :

स्नातक (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री) और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

कम-से-कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बी.एड.

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं चार वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड. या बी.ए.एड./बी.एससी.एड.

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

अथवा

न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी०एड०-एम०एड०।

परन्तु-

(ii) शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद

8

प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 06 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

- (iii) वर्ग 6-8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (Hons.)/आनुषांगिक (Subsidiary) विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो।
- (iv) वर्ग 6-8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो।
- (v) वर्ग 6-8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई दो विषय पठित हो।

परन्तुक-

- ❖ कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(B) सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:

विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की चार वर्षीय उपाधि।

(C) शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:- एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता।

अथवा

प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक/कोच)-45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन.सी.सी. ('सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो।

अथवा

शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात् बी.पी.एड. पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/एन.सी.सी. ('सी' प्रमाण पत्र)का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकुद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कौचिन, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक।

तथा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा इसके समतुल्य।

- (D) संगीत विषय के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:— न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक-उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
- (E) ललितकला विषय के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:—न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक-उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
- (F) नृत्य विषय के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:—न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
- (G) कक्षा 9-10 तक के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:—
(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक-उपाधि एवं
(ख) भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी.एड. के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी.आर.आर. नं. धारित हो

या

बी.एड. के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बी.एड. के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी.आर.आर. नं. धारित हो

एवं

(ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण।

परन्तु:— भारतीय पुनर्वास परिषद् के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

- ❖ कक्षा 09 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

9

(H) कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत् होगा :

- (i) **गणित** :- शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-956, दिनांक-29.05.2023 के आलोक में "स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साइंस/रसायन विज्ञान/सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो"।
- ❖ शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1010, दिनांक-08.06.2023 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस में बी.सी.ए. की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।
- (ii) **विज्ञान** :- स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणि विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो।
- ❖ शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1154, दिनांक-21.06.2023 के आलोक में जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र के अलावा Biotechnology/Microbiology को भी समाहित किया जाता है।
- (iii) **सामाजिक विज्ञान** :- स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो।
- ❖ सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में किसी दो विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं।
- ❖ शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1154, दिनांक-21.06.2023 के आलोक में सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जायेगा।
- (iv) **भाषा से संबंधित विषय** :- माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (Hons.)/आनुषांगिक (Subsidiary) विषय के रूप में पठित हो।

(I) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:

विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर(अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०एड०/बी०एससी०एड०।

अथवा

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 03 वर्षीय एकीकृत बी०एड०- एम०एड०।

परन्तुक-

कक्षा 11 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(J) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत् होगा :

Posts (Subject)	Subjects at Post Graduate Level
Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics
Chemistry	Chemistry/Biochemistry
Economics	Economics/Applied Economics/Business Economics
Commerce	Master's Degree in commerce. However, holder of Degree of M.Com in applied/Business Economics shall not be eligible.
Botany/Zoology	शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1010, दिनांक-08.06.2023 के आलोक में Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/Genetics/Micro Biology/

✓

	Biotechnology/Molecular Biology/Plant Physiology.
Math	Mathematics/Applied Mathematics

(K) कक्षा 11 से 12 तक में कम्प्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उपाधि:-

डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०ई० (कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०) या बी०टेक० (कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी०ई० या बी०टेक० की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर/एम०सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक/बी०सी०ए० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'सी' तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

अथवा

एम०सी०ए० का तीन वर्षीय कोर्स (6 सेमेस्टर)।

परन्तु-

(i) कक्षा 11 से 12 तक के लिए कम्प्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(ii) कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बी०एड० की योग्यता अनिवार्य नहीं है।

(L) संगीत विषय के लिए कक्षा 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:-

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर-उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(M) कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय/विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में:

वाणिज्य संकाय में तीन विषय क्रमशः EPS (उद्यमिता), Accountancy (लेखाशास्त्र) एवं Business Study (बिजनेस स्टडी) में नियुक्ति की जायेगी। इस हेतु वाणिज्य (Commerce) में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीन विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। परन्तु EPS (उद्यमिता) अथवा Accountancy (लेखा) अथवा Business Study (बिजनेस स्टडी) विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

(N) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध:-

(i) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iii) NCTE अधिनियम, 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(O) स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण —मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू/फारसी/अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी।

(P) स्नातक के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण —मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की उपाधि उर्दू/फारसी/अरबी विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा प्रदत्त शास्त्री की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी।

❖ शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

3. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत

(क) प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) वर्ग 6-8 तक के लिए कुल-234 पद

		कोटि								दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी
क्र. सं.	विषय	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार/ बहुदिव्यांग (MD)	
		35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद												
1.	भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी)	20	06	06	09	08	01	02	52	01	01	01	00	01
		11	02	03	05	05	00		26					
2.	गणित एवं विज्ञान	20	06	06	09	08	01	02	52	01	01	01	00	01
		11	02	03	05	05	00		26					
3.	सामाजिक विज्ञान	20	06	06	09	08	01	02	52	01	01	01	00	01
		11	02	03	05	05	00		26					
कुल		93	24	27	42	39	03	06	234	03	03	03	00	03

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- समूह 'ग' (अराजपत्रित)

वेतनमान:- मूल वेतन 28,000/- एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते (महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता)

स्थायी

परीक्ष्यमान अवधि:- 02 वर्ष

(ख) माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT) वर्ग 9 से 10 तक के लिए कुल-248 पद

		कोटि								दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी
क्र. सं.	विषय	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार/ बहुदिव्यांग (MD)	
35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद														
1.	अंग्रेजी	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
2.	हिन्दी	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
3.	संस्कृत	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
4.	विज्ञान	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
5.	गणित	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
6.	शारीरिक शिक्षा	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
7.	संगीत/ कला	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
8.	कम्प्यूटर	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
कुल		96	24	32	40	40	08	08	248	08	00	00	00	08

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- समूह 'ग' (अराजपत्रित)

वेतनमान:- मूल वेतन 31,000/- एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते (महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता)

स्थायी

परीक्ष्यमान अवधि:- 02 वर्ष

(ग) उच्च माध्यमिक शिक्षक (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) वर्ग 11 से 12 तक के लिए कुल-403 पद

		कोटि								दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी
क्र. सं.	विषय	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार/ बहुदिव्यांग (MD)	
		35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद												
1.	अंग्रेजी	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
2.	हिन्दी	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
3.	गणित	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
4.	भौतिकी शास्त्र	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
5.	रसायन शास्त्र	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
6.	वनस्पति विज्ञान	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
7.	जीव विज्ञान	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
8.	इतिहास	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
9.	समाज शास्त्र	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
10.	राजनीति क शास्त्र	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
11.	गृह विज्ञान	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
12.	अर्थशास्त्र	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
13.	लेखा	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
कुल		156	39	52	65	65	13	13	403	13	00	00	00	13

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- समूह 'ग' (अराजपत्रित)

वेतनमान:- मूल वेतन 32,000/- एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते (महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता)

स्थायी

परीक्ष्यमान अवधि:- 02 वर्ष

(घ) प्रधानाध्यापक के लिए कुल-31 पद

		कोटि								दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी
क्र. सं.	पद	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार/ बहुदिव्यांग (MD)	
		35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद												
1.	प्रधानाध्यापक	08	02	03	03	03	01	01	21	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
कुल		12	03	04	05	05	01	01	31	01	00	00	00	01

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- समूह 'ग' (अराजपत्रित)

वेतनमान:- मूल वेतन 35,000/- एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते (महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता)

स्थायी

परीक्ष्यमान अवधि:- 02 वर्ष

4. (A) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (वर्ग 6 से 8) की नियुक्ति विषयवार निम्न पदों पर की जायेगी:-

- (क) गणित एवं विज्ञान शिक्षक
- (ख) सामाजिक विज्ञान शिक्षक
- (ग) भाषा शिक्षक

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (वर्ग 6 से 8) की नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत् होगी:-

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii)(क) बी.ए./बीएस.सी. और प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए./बीएस.सी. एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए./बीएस.सी. एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.), जो इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 04 (चार) वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 04 (चार) वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड. /बी.एस.सी.एड.

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए./बीएस.सी. एवं एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

और

बिहार सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित "शिक्षक पात्रता परीक्षा" (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

(ख) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।

(ग) जिसके पास डी.एड. (विशेष शिक्षा) या बी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त बी.एड. की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(B) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT) (वर्ग 9 से 10) की नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत् होगी:-

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय समूह के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहूरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45

9/

प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी.ए.एड./बी.एससी.एड. चार वर्षीय डिग्री।

(ख) शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद के लिए अर्हता:-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलेटिक्स में सहभागिता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलों अथवा ऐथलेटिक्स में सहभागिता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

प्रतिनियुक्त सेवान्त अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक/कोच)-45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन.सी.सी. ('सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो।

अथवा

शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात् बी.पी.एड. पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/एन.सी.सी. ('सी' प्रमाण पत्र) का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकुद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूल विज्ञान,

खेलकूल प्रबंध, खेलकूद कौचिन, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक।

तथा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा इसके समतुल्य।

(iii) बिहार सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत "शिक्षक पात्रता परीक्षा" में उत्तीर्ण।

(C) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) (वर्ग 11 से 12) की नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत् होगी:-

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जायेगा।

साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान के शिक्षा में स्नातक (बी.एड./बी.ए.एड./बी.एससी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जायेगा।

साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान के शिक्षा में स्नातक (बी.एड./बी.ए.एड./बी.एससी.एड.)।

(iii) बिहार सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत "शिक्षक पात्रता परीक्षा" में उत्तीर्ण।

(D) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत् होगी:-

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड./बी.ए.एड./बी.एससी.एड.) उत्तीर्ण।

(iv) अनुभव:-

(क) प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के पद पर योगदान की तिथि से न्यूनतम 15 वर्षों की लगातार सेवा हो,

(ख) माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT) के पद पर योगदान की तिथि से न्यूनतम 08 वर्षों की लगातार सेवा हो,

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)/माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रमाण पत्र (ICSE)/बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्षों की लगातार सेवा हो,

(घ) उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) के पद पर योगदान की तिथि से न्यूनतम 04 वर्षों की लगातार सेवा हो,

✓

(इ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)/माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रमाण पत्र (ICSE)/बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्षों की लगातार सेवा हो।

उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो बाद की तिथि हो, के आधार पर की जायेगी।

नोट:- प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों में STET की अर्हता का प्रावधान नहीं है।

5. आयु सीमा:-

- (i) सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2023 होगी।
- (ii) मध्य विद्यालय के अध्यापक एवं प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक तथा माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 01.08.2023 को 21 वर्ष है।
- (iii) उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला- 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।
- (iv) प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कार्यरत शिक्षक के न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जायेगी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)/माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रमाण पत्र (ICSE)/बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरुष) 47 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)-50 वर्ष, अनारक्षित (महिला)-50 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-52 वर्ष।
- (v) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए:- संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा।
- (vi) वार्षिक सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है।
- (vii) माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित), उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट:-
इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व वर्ष, 2019 में जिस विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है एवं उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा वर्ष 2023 में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक-01.08.2023 को आधार मानकर देय होगी। उक्त विषय/विषय समूह के अतिरिक्त जिस विषय या विषय समूह के प्रशिक्षित अभ्यर्थी, जो पात्रता परीक्षा वर्ष, 2023 में उत्तीर्ण हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 04 वर्ष की छूट होगी।

नोट:- माध्यमिक शिक्षक, पात्रता परीक्षा (STET), 2023 के पेपर-I के विषय हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा STET, 2023 के पेपर-II के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं मैथिली में सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 04 (चार) वर्ष की छूट दिनांक-01.08.2019 से 01.08.2023 तक की अवधि में over age अभ्यर्थियों के लिए देय होगी।

परन्तु-क-

- (i) पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

6. चयन प्रक्रिया:- लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के आधार पर।

➤ लिखित परीक्षा:-

8/

(i) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे:-

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
1.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के लिए (वर्ग 6-8) ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य हो। ➤ भाग-II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। ➤ भाग-III- मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। ➤ भाग-III- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।
2.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) के लिए (वर्ग 9-10) ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य हो। ➤ भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललितकला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान। ➤ भाग-III- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित,

✓

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
					ललितकला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान। ➤ भाग-III- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, संगीत/कला एवं कम्प्यूटर। संगीत/कला विषय के लिए संगीत, ललितकला, चित्रकला एवं नृत्यकला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जायेगी। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/ NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।
3.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) (वर्ग 11-12) तथा प्रधानाध्यापक के लिए ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हताक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य हो। ➤ भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर साईंस, बिजनेस स्टडीज, एकाउंटेंसी, संगीत एवं उद्यमिता। ➤ भाग-III- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) तथा प्रधानाध्यापक के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान एवं लेखा (एकाउंटेंसी)। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।

- भाषा (अर्हता) भाग-I Qualifying होगा।
- सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जानेवाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक (Negative Marking) नहीं होगा।
- उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

मेधा सूची:-

- **शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण:-** लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग-II एवं III) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय (भाग-III) का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा-क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।
- **पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए मेधा सूची का निर्धारण:-** लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं संविदा के आधार पर प्राप्त अधिमानता के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबधिक मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा (भाग-II एवं III) के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय (भाग-III) का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा-क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

- **पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित स्नातक शिक्षक/व्याख्याता को समतुल्य पद में अधिमानता देने के संबंध में:-**
संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित स्नातक शिक्षक/व्याख्याता द्वारा प्रतिवर्ष संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) दी जायेगी। परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक में अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक शामिल नहीं किया जायेगा।

संविदा नियोजित स्नातक शिक्षक को समतुल्य पद माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT) एवं प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा 6 से 8 तक) में अधिमानता दी जायेगी एवं संविदा नियोजित व्याख्याता को समतुल्य पद उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) पद पर अधिमानता दी जायेगी।

नोट:-पूर्व से नियोजित स्नातक शिक्षक/व्याख्याता को संविदा के आधार पर किये गये कार्य अवधि के उम्र सीमा में छूट एवं कार्यानुभव के लिए अधिमानता दिये जाने के आलोक में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विहित प्रपत्र में किये गये अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिले के जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

- ❖ **“कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या-2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जायेंगे” के साथ निम्नलिखित संशोधन “परन्तु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक (निम्नतर पूर्णांक में) अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकतानुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा” को सम्मिलित किया जाता है।**

- अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुये हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं।

➤ साक्षात्कार:-

इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

➤ अधिमानता:-

- प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता (Priority) अंकित करते हुए शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है।

✓

- मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जायेगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात् शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसपर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा।
- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन करने के समय तीन जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में देना होगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabetical) के अनुसार रिक्त पद वाला जिला आवंटित की जायेगी।
- अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात् पदस्थापन Merit-cum-choice के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में पदस्थापन किया जा सकेगा।

7. अन्य निर्देश:-

- (i) कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम 03 (तीन) बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।
- (ii) आयोग द्वारा की गयी अनुशांसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाय, की अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।
- (iii) आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व-घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा।

नोट:- (क) पत्र/विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधासूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किये गये दावे की सत्यता की जाँच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात् मेधासूची को प्रशासी/शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा।

8. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - (a) जाति प्रमाण-पत्र
 - (b) स्थायी निवास संबंधित प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (iii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है:-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनारक्षित (Unreserved)	UR	01
2.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC	02
3.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST	03
4.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
5.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
6.	पिछड़ा वर्ग की महिला (Backward Class ladies)	BCL	06
7.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

(iv)(A) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को क्षैतिज आरक्षण देय है। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(B) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(v) इस नियमावली "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के आलोक में मध्य विद्यालय 6-8 तक के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत आरक्षित होगा। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जायेगा। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 तक, विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग-9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 तक के अध्यापकों के लिए तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित), उच्च माध्यमिक शिक्षक (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) एवं प्रधानाध्यापक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

सभी वांछित प्रमाण-पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि-25.11.2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। यदि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है, तो उससे उक्त अर्हता/पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोट:-(1) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

नोट:-(2) आयोग द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

1. मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
2. विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
3. विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक-पत्र।
4. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित स्नातक शिक्षक/व्याख्याता को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं कार्यानुभव हेतु अधिमानता का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र।
पूर्व से नियोजित स्नातक शिक्षक/व्याख्याता को संविदा के आधार पर किये गये कार्य अवधि के उम्र सीमा में छूट एवं कार्यानुभव के लिए अधिमानता दिये जाने के आलोक में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विहित प्रपत्र में किये गये अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिले के जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।
5. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।
6. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
9. दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। (दावा करने के स्थिति में)।

नोट:-बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

10. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र।
11. भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
12. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
13. केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
14. फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड)।
15. हाल का खिंचा हुआ 2 (दो) फोटो।
16. लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति।
17. लिखित परीक्षा के लिए निर्गत e-Admit card की प्रति।

9. प्रमाण पत्रों की जाँच:-

- नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथाआवश्यक जाँच करा लेंगे।
- प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एण्ड उडिसा पब्लिक डिमान्ड रिकॉवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

10. शुल्क :-

अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अलग-अलग प्रत्येक परीक्षा (यथा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विशेष विद्यालय अध्यापक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित), उच्च माध्यमिक शिक्षक (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) एवं प्रधानाध्यापक के लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:-

- सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- सभी आरक्षित/अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:- (1) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा।

दस्तावेज सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आधार लिंक मोबाईल संख्या का अंकन किया जाना अपेक्षित है। आधार लिंक मोबाईल नम्बर नहीं होने की स्थिति में यथाशीघ्र मोबाईल नम्बर को आधार से लिंक करा लें। परीक्षाफल के प्रकाशन के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के मोबाईल पर यदि OTP की समस्या उत्पन्न होती है एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल होने पर उनकी पात्रता प्रभावित होगी।

- वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/अनारक्षित महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

11. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	निबंधन एवं भुगतान प्रारम्भ करने की तिथि	05.11.2023 से 14.11.2023 तक
2.	विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि	17.11.2023
3.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	10.11.2023
4.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	25.11.2023 (अविस्तारणीय)

- ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण-पत्र/कागजात को PDF Format में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है।
- अभ्यर्थी यदि एक से अधिक विभाग के पद हेतु आवेदन करते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से आश्वस्त होने उपरान्त ही भुगतान करें। अन्यथा की स्थिति में over age होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी एवं भुगतान राशि वापस नहीं की जायेगी।
- अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि

✓

दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

- अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा, अनुभव एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की जाँच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

(A) Registration के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि Registration में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएँ सही हैं। Payment के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Registration में की गयी प्रविष्टि में Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

नोट:- Application Form Submit करने के उपरान्त Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(B) Application Form Submit करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर Dashboard पर उपलब्ध Download filled Application Section से भरा हुआ आवेदन Download कर लेंगे।

नोट:- वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों, वे निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(iii) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित नहीं करेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

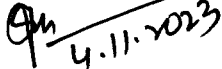
(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने के स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।

(x) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(xi) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।



- (xii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xiii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
- 12. महत्वपूर्ण निर्देश :-**
- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Download Filled Application Section” से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
13. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
14. शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
15. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
16. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
17. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
18. आवेदक आवेदन पत्र भरने के पश्चात् पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि उनके द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियाँ आवेदन पत्र में अंकित हो गई है। अधूरा भरा गया आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। आवेदन पत्र में यदि किसी प्रविष्टि में कमी पाई जायेगी तो इसमें सुधार हेतु अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में आवेदक/अभ्यर्थी को नया फार्म (आवेदन पत्र) भरना होगा एवं इसके लिये अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपूर्ण एवं गलत तथ्य/प्रविष्टि अंकित कर दी गई हो उसके आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
19. परीक्षाफल सशर्त घोषित होगा एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल/अनुपस्थित पाये जाने वाले अभ्यर्थी कदाचार के दोषी माने जायेंगे।


4.11.2023
परीक्षा नियंत्रक(TRE-2),
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।